



## सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, सं०वि०स०  
श्री पंकज कुमार मिश्र, सं०वि०स०  
श्री राजवंशी महतो, सं०वि०स०  
श्री छोटे लाल राय, सं०वि०स०  
श्री मनोज कुमार यादव, सं०वि०स०  
डॉ० संजीव कुमार, सं०वि०स०  
श्री विनय कुमार, सं०वि०स०

“राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में रसोइया का कार्य गरीब घर की महिलाएं करती हैं, जिसका मानदेय 1650/-रुपये प्रतिमाह है यानि 55 रुपये प्रति दिन देय है। इतनी महंगाई में अल्प मानदेय राशि से घर-परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। इन रसोइयों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने से इन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

अतएव राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में रसोइया का कार्य करने वाली महिलाओं को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

शिक्षा

2. श्री पवन कुमार जायसवाल,  
संवि०स०  
श्री प्रमोद कुमार सिन्हा,  
संवि०स०  
श्री उमाकांत सिंह,  
संवि०स०  
श्री विनोद नारायण झा,  
संवि०स०  
श्री देवेश कान्त सिंह,  
संवि०स०  
श्री पवन कुमार यादव,  
संवि०स०  
श्री प्रणव कुमार,  
संवि०स०  
श्री बीरेन्द्र कुमार,  
संवि०स०  
श्री संतोष कुमार मिश्र,  
संवि०स०  
श्री नितिन नवीन,  
संवि०स०  
श्री संजय सरावगी,  
संवि०स०

“परिवहन विभाग की अधिसूचना सं०-684, दिनांक-11.08.2021 द्वारा अधिसूचित मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली, 2021 दिनांक-15.09.2021 द्वारा राज्य के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रित / गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल अंतरिम मुआवजा 5 लाख / जरूरत अनुसार भुगतान कर मदद पहुँचाने की व्यवस्था लागू है, लेकिन दिनांक-22.12.2022 से राज्य के सभी जिलों में सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजा मिलना एवं आवेदन लेना भी बंद कर दिया गया है।

परिवहन

अतः जनहित में मानवीय संवेदना के मद्देनजर राज्य में जिला स्तर पर दुर्घटना में मृत / घायलों के आवेदन प्राप्त करने तथा अंतरिम मुआवजा देने के लिए निर्देश जारी करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”


ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/2023-

746

/ वि०स०, पटना, दिनांक-24

पवन कुमार पाण्डेय  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।  
मार्च, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(विमलेन्दु भूषण कुमार)  
उप सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।


ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/2023-

764

/ वि०स०, पटना, दिनांक-24

मार्च, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
(विमलेन्दु भूषण कुमार)  
उप सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/2023-

746

/ वि०स०, पटना, दिनांक-24 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा परिवहन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/2023-

746

/ वि०स०, पटना, दिनांक-24 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।



(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।